

1. छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत राज
पुर के राजस्व विभाग (जिसे इस
विभाग के प्रयोग हेतु अनुसूची क्रमांक
सी. 7-22-छत्तीसगढ़ राजस्व/05 का सं
श्लेषण, दिनांक 30-5-2005)



181

संश्लेषण क्रमांक 7-22-छत्तीसगढ़ राजस्व/05
का संश्लेषण, दिनांक 30-5-2005

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 321]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2005—अग्रहायण 29, शक 1927

राजस्व विभाग

मंत्रालय, डाक कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-4-50/सात/राजस्व/2005/4056.—छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2005) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार (एक) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) कर नियम, 2005 है.
(दो) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.
(तीन) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (क) "आधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ (अधिसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2005)
- (ख) "नियम" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन निर्मित नियम ।
- (ग) "सकम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 16 में परिभाषित कलेक्टर से है, किन्तु इसमें अतिरिक्त कलेक्टर सम्मिलित नहीं होंगे ।
- (घ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संबन्धित अनुसूची
- (ङ) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित अपीलीय प्राधिकारी ।
- (च) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इसमें प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, उनके अर्थ क्रमशः वही होंगे उनके लिए छत्तीसगढ़ (अधिसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2005) में दिये गये हैं ।

3. शक्तियों के प्रयोग के लिये सकम प्राधिकारी - सकम प्राधिकारी अपने क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत इन नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

4. जहां खनिज का उत्पादन नहीं होता है, वहां कर - जहां खनिज भूमि में लगातार दो वर्षों या अधिक में खनिज का उत्पादन नहीं होता है, वहां ऐसी भूमि अनुसूची 'एक' एवं 'दो' में नियत दर पर कर के उगाही के लिए दायी होगा ।

5. कर के भुगतान का तरीका - धारा 3 एवं 4 के अंतर्गत कर का भुगतान चार समान किश्तों में वित्तीय वर्ष के तिमाही के अंतिम दिन तक ट्रेजरी चालान के माध्यम से किया जावेगा । चालान की प्रति खनिज पट्टा धारक के द्वारा सकम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा ।

6. भुगतान की चूक के लिए शास्ति - (1) सक्षम प्राधिकारी नियम 5 के तहत भुगतान में चूक करने पर खनिज पट्टा धारक को प्रस्तावित शास्ति की राशि जो वर्गवार प्ररूप 'क' में विनिर्दिष्ट है पन्द्रह दिनों की सूचना द्वारा सुनवाई का युक्ति-युक्ति अवसर देने के पश्चात् कर के तीन गुने से अनाधिक शास्ति आरोपित कर सकेगा ।
- (2) खनिज पट्टा धारक के स्पष्टीकरण पर विचारण के पश्चात् यदि सक्षम प्राधिकारी चूक के युक्ति-युक्त कारण से यदि संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के तहत शास्ति उगाही का आदेश पारित कर सकेगा और ऐसे धारक को प्ररूप 'ख' में मांगपत्र की सूचना के साथ तामील कराएगा ।
7. कर का निर्धारण एवं मांग - (1) यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो तो खनिज पट्टा धारक के उपस्थित या वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रस्तुत विवरणी सही एवं पूर्ण होने संबंधी कोई साक्ष्य उसके द्वारा प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा किए बिना, वह ऐसे विवरणी के आधार पर खनिज पट्टा धारक से देय उपकर की राशि का निर्धारण करेगा ।
- (2) यदि सक्षम प्राधिकारी वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रस्तुत विवरणी से संतुष्ट न हो तो वह खनिज पट्टा धारक को प्ररूप 'ग' में सूचना पत्र तामील करेगा और लेखा दस्तावेज एवं अन्य सामग्रियां प्रस्तुत करने के लिए तिथि निश्चित करेगा और खनिज पट्टे के वार्षिक मूल्य, धारा 4 के अधीन निर्धारित उपकर की दर, खनिज उत्पाद के गुणवत्ता और मात्रा, ऐसे खनिज के विक्रय मूल्य एवं विहित रीति से प्रस्तुत वार्षिक विवरणी और खनिज पट्टा के वार्षिक मूल्य के विनिश्चयन के प्रयोजन के लिए वांछित अन्य सामग्रियों के संबंध में उक्त धारक द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचारण पश्चात् उपकर और देय उपकर की मांग यदि कोई हो तो वर्ष के चालू माह के अंत में प्ररूप 'घ' में निर्धारण करेगा ।
8. विवरणी एवं पुनरीक्षित विवरणी की प्रस्तुति - (1) प्रत्येक खनिज पट्टा धारक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक वार्षिक विवरणी प्ररूप 'ड' में इस प्रकार प्रस्तुत करेगा कि सक्षम प्राधिकारी को पच्चीस अप्रैल तक पहुंच जाये । जहां कोई व्यवित्त के पास सक्षम प्राधिकारी के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत एक से अधिक

184

खनिज पट्टा पारित करता हो तो, वहां ऐसे प्रत्येक पट्टे के लिए पृथक् विवरणियां प्रस्तुत किया जायेगा।

परन्तु, यदि प्ररूप 'ड.' में दाखिल विवरणी के साथ विहित दस्तावेज संलग्न नहीं है और संदर्भित वर्ष के लिए उपकर के पूर्ण भुगतान नहीं बताया गया हो तो यह इस नियम के अंतर्गत कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं होना माना जायेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत विवरणी की अशुद्धता की खनिज पट्टा धारक की जानकारी होने की दशा में वह उपनियम (1) के अंतर्गत विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से एक माह की अवधि में विवरणी में पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप भुगतान के अंतर की किसी राशि के भुगतान के प्रमाणस्वरूप चालान रसीद के साथ संशोधित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) खनिज पट्टा धारक के द्वारा उपनियम (1) के अंतर्गत विवरणी नियत तिथि में विवरणी दाखिल करने में असमर्थ रहता है अथवा विवरणी गलत या अपूर्ण पाए जाने पर सुनवाई का युक्त-युक्त अवसर उसे देते हुए उपलब्ध सामग्रियों एवं अपने विवेकाधीन देय कर का सक्षम प्राधिकारी निर्धारण करेगा और प्ररूप 'च' में आदेश पारित करेगा और आदेश के अनुसरण में प्ररूप 'छ' में डिमाण्ड जारी करेगा।

9. अपील - (1) नियम 6.7 या नियम 8 के उपनियम (3) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी को प्ररूप 'ज' में अपील किया जा सकेगा और या तो व्यक्तिशः या प्रतिनिधि के द्वारा या पंजीकृत डाक से भेजकर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी तब तक अपील ग्राह्य नहीं करेगा जब तक निर्धारित मांग की गई आधी कर भुगतान न कर दी गई हो।

(3) यदि अपीलीय प्राधिकारी, अपील नैमो एवं संलग्न दस्तावेजों की जांच के पश्चात् यदि उसकी राय में वह या उनमें से कोई व्यवस्थित नहीं है तो अपीलार्थी को विनिर्दिष्ट समय के भीतर कमी को संशोधित किए जाने हेतु निर्देश दे सकेगा तदनुसार अपील आवेदन स्वीकार करेगा।

(4) अपील ग्राह्य होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी अपीलकर्ता से कोई अभिलेख अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा, सक्षम प्राधिकारी अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई कर सकेगा और ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित एवं सही समझे।

(5) अपीलीय प्राधिकारी, कर की रकम या यदि कोई शास्ति जो अधिनियम के अधीन अपीलार्थी को वापसी योग्य हो, कारण को स्पष्टतः सूचित करते हुए अपील का निपटान करेगा।

(6) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रतिलिपि अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदाय की जावेगी।

(7) उपनियम (6) के अधीन वापसी योग्य राशि अथवा खनिज पट्टा धारक द्वारा अधिक भुगतान की गई राशि भावी देय उपकर के विरुद्ध समायोजित की जावेगी और यदि कोई समायोजन संभव नहीं होगा तो सक्षम प्राधिकारी की

(193)

संशोधित पट्टा धारक को या बहाल एवं प्रस्तुत करने के लिए पुनः विचारणीय प्रस्तुत किया जाएगा।

साथ ही उपरोक्त भागों के संशोधित विवरणों के साथ लिखित दस्तावेज संलग्न करने हैं और संशोधित एवं संशोधित प्रस्ताव के पुनः भुगतान नहीं बताया गया है। जो एक हद नियम या उपनिषद् में विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता क्योंकि।

(2) सक्षम प्राधिकारी को उपरोक्त विवरणों की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पट्टा धारक को जानकारी देने की रक्षा के लिए उपनिषद् (1) के अंतर्गत विवरणों प्रस्तुत करने के लिए लिखित लिखित में एक बार की अवधि में विवरणों में पुनरावलोकन के परिणामस्वरूप भुगतान के अंतर्गत राशि के भुगतान के प्रभावस्वरूप अंतर्गत राशि के साथ संशोधित विवरणों प्रस्तुत कर लेंगे।

(3) खनिज पट्टा धारक के द्वारा उपनिषद् (1) के अंतर्गत विवरणों नियत तिथि में विवरणों प्रस्तुत करने में अक्षमता रहता है अथवा विवरणों प्रस्तुत या अपूर्ण प्राप्त होने पर सुनवाई का सुझाव-सुझाव अक्षमता रहे बने हुए उपलब्ध सापत्तियों एवं अपने विवेकाधीन वेब को सक्षम प्राधिकारी निर्धारण करेगा और प्रत्येक 'च' में आदेश पारित करेगा और आदेश के अनुसार में प्रत्येक 'ठ' में दिनांक जारी करेगा।

9. अधीन (1) नियम 6.7 या नियम 9 के उपनिषद् (3) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी को प्रत्येक 'ज' में अपील किया जा सकेगा और या तो व्यक्तिगत या प्रतिलिपि के द्वारा या पंजीकृत डाक से भेजकर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी तब तक अपील ग्राह्य नहीं करेगा जब तक निर्धारित मांग को गई आधी कर भुगतान न कर दी गई हो।

(3) यदि अपीलीय प्राधिकारी, अपील में दोष एवं संलग्न दस्तावेजों की जांच के पश्चात् यदि उसकी राय में वह या उनमें से कोई व्यवस्थित नहीं है तो अपीलार्थी को विनिर्दिष्ट समय के भीतर कमी को संशोधित किए जाने हेतु निर्देश दे सकेगा तदनुसार अपील आवेदन स्वीकार करेगा।

(4) अपील ग्राह्य होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी अपीलकर्ता से कोई अभिलेख अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा, सक्षम प्राधिकारी अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई कर सकेगा और ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित एवं सही समझे।

(5) अपीलीय प्राधिकारी, कर की रकम या यदि कोई शास्ति जो अधिनियम के अधीन अपीलार्थी को वापसी योग्य हो, कारण को स्पष्टतः सूचित करते हुए अपील का निपटान करेगा।

(6) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रतिलिपि अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदाय की जावेगी।

(7) उपनिषद् (6) के अधीन वापसी योग्य राशि अथवा खनिज पट्टा धारक द्वारा अधिक भुगतान की गई राशि भावी देय उपकरण के विरुद्ध समायोजित की जावेगी और यदि कोई समायोजन संभव नहीं होगा तो सक्षम प्राधिकारी की

शासन द्वारा जारी स्वीकृति आदेश द्वारा अपीलार्थी को आधिक्य राशि वापस किया जा सकेगा। स्वीकृति आदेश की प्रति एक साथ संबंधित कोषालय अधिकारी को भी दी जाएगी।

10. **उपकर की वसूली** - सक्षम प्राधिकारी अधिनियम के प्रावधानों एवं इन नियमों के अधीन भुगतान के लिए दायी उपकर शास्ति और जुर्माना यदि कोई की देय किन्तु भुगतान न की गई राशि उल्लेखित करते हुए अपने हस्ताक्षर के अधीन राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा, जो खनिज पट्टा धारक के भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जावेगा।
11. **शास्ति** - यदि सक्षम प्राधिकारी को यह रिपोर्ट प्राप्त होता है कि इन नियमों के अधीन आदेश का उल्लंघन किया गया है तो संबंधित खनिज पट्टा धारक को 30 दिवस के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करके रुपये पांच हजार तक जो कि साठ दिनों के भीतर अदा करना होगा, जुर्माना आरोपित कर सकेगा।
12. **पंजी का संधारण** - सक्षम प्राधिकारी अपने कार्यालय में प्ररूप 'झ' में प्रत्येक खनिज पट्टा के लिए मांग संग्रहण और भुगतान योग्य वापसी उपकर तथा वापसी योग्य अवशेष यदि कोई हो तो उसके लिए एक पंजी संधारित करेगा।
13. **त्रुटियों का सुधार** - सक्षम प्राधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी जैसी कि स्थिति हो या तो निहित पक्षकार के आवेदन अथवा स्वप्रेरणा पर उसके आवेदन अथवा स्वप्रेरणा पर उसके कारणों का लिखित में कारण लेखबद्ध करते हुए किसी आदेश या उपकर निर्धारण या शास्ति के आदेश में किसी अभिलेख की प्रत्यक्ष गलतियों को सुधार सकेगा अथवा किसी आकस्मिक चूक या लोप को संशोधित कर सकेगा।

परन्तु, संबंधित पक्षकार को सुनवाई का युक्त-युक्त अवसर दिए बिना ऐसा कोई सुधार नहीं होगा।

यह और कि - इन शक्तियों का प्रयोग सुधारे जाने वाले आदेश के पारित होने की तिथि के एक वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

14. **निर्देश जारी करने की शक्तियां** - शासन अधिनियम अथवा इन नियमों के प्रावधानों के अनसंगत कोई विसंगति, चूक एवं कठिनाईयों को निराकृत करने की दृष्टि से समय-समय पर आवश्यक निर्देश प्रसारित कर सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुबूर, अवर सचिव.

127

अनुसूची- 'एक'
(नियम - 4 देखें)

| अनु. क्र. | भूमि का वर्गीकरण | विकास उपकर की दर |
|--------------|--|--|
| 1 | कोयले तथा लौह अयस्क खनि पट्टों के अन्तर्गत आच्छादित भूमि पर | वार्षिक खनिज प्रेषण पर 5 रुपए प्रति टन |
| 2 | उपरोक्त (1) के अलावा खनि पट्टों के अंतर्गत आच्छादित भूमि पर | वार्षिक रायल्टी की 5 प्रतिशत राशि |
| 3 | उपरोक्त(1) तथा (2) के अंतर्गत आच्छादित भूमि के अलावा भूमि पर | वार्षिक देय भू-राजस्व या भू-भाटक यथास्थिति, की राशि का 5 प्रतिशत |

11/12/05
648(5)

अनुसूची- 'दो'
(नियम - 4 देखें)

| अनु. क्र. | भूमि का वर्गीकरण | पर्यावरण उपकर की दर |
|-----------|---|--|
| 1 | कोयले तथा लौह अयस्क खनिज पट्टों के अन्तर्गत आच्छादित भूमि पर | वार्षिक खनिज प्रेषण पर 5 रूपए प्रति टन |
| 2 | उपरोक्त (1) के अलावा खनि पट्टों के अन्तर्गत आच्छादित भूमि पर | वार्षिक देय रायल्टी की 5 प्रतिशत राशि |
| 3 | उपरोक्त(1) तथा (2) के अन्तर्गत आच्छादित भूमि के अलावा भूमि पर | वार्षिक देय भू-राजस्व या भू-भाटक यथास्थिति, की राशि का 5 प्रतिशत |

दर
5
तिशत
राशि

Raipur, the 20th December 2005

NOTIFICATION

No. 4-50/Seven/Revenue/2005/4056.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Chhattisgarh (Adhosanrachna Vikas avam Paryavaran) Upkar Adhiniyam, 2005 (No 4 of 2005) the State Government hereby makes the following rules, namely :-

RULES

- 1- **Short title and commencement:** (1) These rules may be called the Chhattisgarh (Adhosanrachna Vikas avam Paryavaran) Upkar Niyam, 2005.
(2) They shall come into force with effect from the date of publication in the official gazette.
(3) It extends to the whole of Chhattisgarh.
- 2- **Definintions** (1) In these rules unless the context otherwise requires:-
(a) "Act" means Chhattisgarh (Adhosanrachna Vikas avam Paryavaran) Upkar Adhiniyam 2005 (NO 4 of 2005)
(b) "Rules means rules made under the Act.
(c) "Competant Authority " means the Collector as defined under section 16 of Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 of (No20 of 1959) but shall not include Additional collector.
(d) "Schedule" means the schedule appended to these rules .
(e) "Appellate authority " means the authority as notified by the State Government in the official gazette from time to time.
(f) The words and expressions used in these rules but not defined there in shall have the meaning respectively as assigned to them in the Chhattisgarh (Adhosanrachna Vikas avam Paryavaran) upkar Adhiniyam, 2005 (NO 4 of 2005)
- 3- **Competent Authority to exercise power:-**The competent authority shall exercise powers under different provisions of these rules within their respective Jurisdictions.
- 4- **Tax where there is no production of Mineral :-**Where in case of any mineral bearing land, there is no production of mineral for two consecutive years or more, such land shall be liable for levy of tax at the rate fixed in schedule I and II.
- 5- **Manner of payment of Tax:-**The payment of tax under section 3 and 4 shall be made in four equal installments on the last day of each quarter of financial year through the treasury challan .A copy of the treasury challan shall be submitted by the holder of any mineral bearing land to the competent authority.
- 6- **Penalty on default payment:-** (1) The competent authority shall impose penalty not exceeding three times of the tax in the event of default of payment of tax under rule 5 by the holder of any mineral bearing land,, after giving him a reasonable opportunity of hearing .

by serving a fifteen days notice in Form "A" on him categorically specifying the amount of the proposed penalty.

(2) If, after considering the explanation of the holder of the mineral bearing land, the competent authority is not satisfied that the default was due to reasonable cause, he shall pass an order levying penalty in accordance with the provisions of the sub-section (2) of section 7 and serve it to such holder together with a notice of demand in Form-B.

7 Assesment and Demand of Tax:-(1) If the competent authority is satisfied, without requiring the presence of the holder of mineral bearing land or the production by him of any evidence, that the return furnished in respect of the financial year are correct and complete, he shall assess the amount of tax due from the holder of mineral bearing land on the basis of such return.

(2) If the competent authority is not satisfied with the returns furnished in respect of a financial year, he shall serve a notice in Form-C to the holder of the mineral bearing land, and fix the date for production of such accounts, documents and other materials and after taking into consideration the objections raised by the said holder, the annual value of mineral bearing land, the rate of tax fixed under section 4 the quantity and grade of mineral produced, the sale price of such mineral, the annual return furnished in the manner hereafter provided and any other materials required for the purpose of ascertaining the annual value of mineral bearing land, shall assess the tax and demand the tax due if any, in Form -D by the end of the Month of the year.

8 Submission of return and revised return:- (1) Every holder of mineral bearing land or quarry holder carrying mining operations shall furnish an annual return for each financial year in Form -E to the competent authority, so as to reach him by the 25th day of April. Where a person has more than one mineral bearing land holding within the territorial jurisdiction of the competent authority, separate returns shall be furnished for each such holding.

Provided that the return filed in Form -E is not accompanied by the documents provided therein and showing full payment of tax for the relevant year, it shall be deemed that no return is filed under this rule.

(2) In case of any inaccuracy in the return furnished to the competent authority, comes to the notice of the holder of a mineral bearing land, he may submit a revised return so as to reach the competent authority within a period of one calendar month from the last date fixed for furnishing of return under sub-rule (1) along with a challan receipt by way of proof of payment of any differential tax to be paid as a result of a revision in the return.

(3) On the failure of the holder of the mineral bearing land or the quarry holder to file return under sub-rule (1) by the due date or as the case may be, the return is found to be incorrect or incomplete, the competent authority after giving him a reasonable opportunity of being heard, shall assess the tax due to the best of his

judgement on the basis of available materials and pass an order in Form-F and issue a notice of demand in Form-G in pursuance of that order.

9. Appeal:- (1) An appeal may be preferred to the Appellate Authority against the order passed by the Competent Authority under rule 6,7 or sub-rule (3) of rule 8 in form -H and I and may be presented either in person or by an agent or may be sent by a registered post.

(2) The Appellate Authority shall not entertain any appeal unless half of the tax assessed and demanded is paid .

(3) If the Appellate Authority ,after scrutining of the appeal memo and the accompanied documents, is of the opinion that those or any of the same is not in order, the may direct the appellant to rectify the deficiencies within a specified time and admit the appeal petition accordingly .

(4) After admission of the appeal, the appellate authority may call for production any records or documents from the appellant. The competent authority may give a personal hearing to appellant and pass such order as it may deem just and proper

(5) The appellate authority shall dispose off the appeal by a speaking order indicating clearly the amount of tax and if any which is found penalty to be refundable to the appellant under the act.

(6) A copy of the order passed by the appellate authority shall be furnished to the appellant free of cost.

(7) The amount to be refunded under sub rule (6) of where the holder of the mineral bearing land has paid in excess shall wherever possible be adjusted against further taxes due, and if no such adjustment is possible, the amount shall be refunded by the Government on the recomandation of the Competent Authority by issuing a sanction order and shall make it over to the appellant or , as the case may be ,to the holder of the mineral bearing land through the Government treasury. A copy of the sanction order shall be forwarded simultaneously to the Treasury Officer concerned.

10. Recovery of Tax :-The competent Authority may issue a Revenue Recovery certificate under his signature specifying the amount of tax,penalty and fine if any ,liable to be paid under the provisions of the act and these rules ,but not paid ,who shall recover the same from the holder of the mineral bearing land as an arreer of land revenue.

11. Penalty on breach of order :-(1) On receiving a report from the competent authority to the effect that his order under these rules has been violated, the appellate authority may ,after issue of a thirty days show cause notice to the holder of the mineral bearing land, impose fine up to five Thousand Rupees which shall be paid within Sixty days of the passing of the order.